भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3151
दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय महिला आयोग

3151. श्री श्याम सिंह यादवः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय महिला आयोग की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ख) राष्ट्रीय महिला आयोग के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा समाज में महिलाओं की दशा और स्थिति में सुधार का आकलन करने वाले मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) उनकी सिफारिशों पर किस हद तक कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) और (ख) : राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में जनवरी, 1992 में की गई थी । आयोग में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होते हैं ।

राष्ट्रीय महिला आयोग के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :

i. महिलाओं के लिए उपलब्ध संवैधानिक और विधिक सुरक्षाओं से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन और निगरानी करना;
ii. मौजूदा विधानों की समीक्षा करना और जहां भी आवश्यक हो, संशोधन सुझाना;
iii. बेसहारा महिलाओं को कानूनी या अन्य प्रकार का सहयोग प्रदान करने के लिए महिलाओं के अधिकारों से वंचित करने वाले मामलों में शिकायतों पर विचार करना और स्वतः ही इनका संज्ञान लेना;
iv. जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और राष्ट्र के विकास में समान भागीदारी हासिल करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाए गए सभी कानूनों के उचित कार्यान्वयन की निगरानी करना;
v. उन्नति और शैक्षणिक अनुसंधान करना और उनमें भाग लेना और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के नियोजन प्रक्रिया में सलाह देना ।

किसी मामले की जांच करते या किसी शिकायत की जांच करते समय आयोग के पास किसी मामले विशेषकर निम्नलिखित मामलों के संबंध में सुनवाई कर रही सिविल अदालत की शक्तियां होंगी :

क. भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन भेजना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और उसकी शपथ की जांच करना;
ख. किसी दस्तावेज़ की मांग करना और प्रस्तुत कराना;
ग. शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
घ. किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना;
ङ. गवाहों और दस्तावेज़ों की जांच के लिए कमीशन जारी करना; और
च. अन्य कोई मामला जिसे निर्धारित किया जाए;

(ग) : सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रगति की निगरानी करने के लिए मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से 306 सूचकों वाले राष्ट्रीय सूचक ढांचे (एनआईएफ) का विकास किया है । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय सूचक ढांचे में 36 लिंग विशिष्ट सूचकों को चिन्हित किया है । नीति आयोग ने भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक विकसित किया है, जो विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों पर उपलब्धियों का, 62 सूचकों के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति का जायजा लेता है । 62 में से कुल 6 सूचक सतत विकास लक्ष्य 5 (लिंग समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना) से संबंधित हैं ।

(घ) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की सिफारिशों पर विधिवत जांच और उन पर कार्य करता है । एनसीडब्ल्यू की सिफारिशें केंद्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए अग्रेषित भी की जाती है । प्रासंगिक कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों को गठित और समीक्षा करते समय भी उन पर विचार किया जाता है ।

*****